

नगर पालिका, नीमराना

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/NEEMRANA/FIRENOC/2025-26/58126
जारी दिनांक: 21-NOV-2025 वैधता दिनांक: 20-NOV-2027

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SUNIL KUMAR RAHI
आवेदक का पता: SP-1 RIICO INDUSTRIAL AREA NEEMRANA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन MOHAN LAL DAYAL VINAY MANDIR SCHOOL, SP1, RIICO INDUSTRIAL AREA, NEEMRANA, NAGAR PALIKA NEEMRANA, KOTPUTLI-BEHROR, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

- ईकाई प्रबंधन द्वारा प्रति वर्ष अग्निशमन अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ईकाई का निरीक्षण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा फायर एन ओ सी निरस्त कर दिया जावेगा
- किसी भी प्रकार की लूज विद्युत फिटिंग नही होनी चाहिए।
- समय- समय पर अग्निशमन यंत्र का रख-रखाव किया जायेगा।
- फायर एनओसी की अवधि समाप्त होने से 15 दिवस पूर्व नवीनीकरण के लिये आवेदन करना होगा अन्यथा 5000 रुपये पैनल्टी के तौर पर देय होंगे।
- ६
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नही होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- भवन का मुख्य/अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नही पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जाएगा।
- नक्शों में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो आपके नक्शों को पुनः अनुमोदन कराया जाना अनिवार्य होगा।



Signed by: Ajay Singh
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: NEEMRANA, Rajasthan
Date: 21/11/2025 10:28:04



अग्निशमन अधिकारी
नगर पालिका, नीमराना